संवेक्षाशील पुर्नवास

संवेक्षाशील पुर्नवास एक प्रकार की आश्रय सहायता है जिससे उन व्यक्तियों और परिवारों की मदद की जाती है जिन्हे असल में और शीध्र आक्षाय की जरुरत है परन्तु वे स्वयं इसे पूरी नहीं कर सकते । इस योजना के अंतर्गत उन लोगों की मदद करने के लिए उन्हें सशर्त किरायेदारी की भी सलाह दी जा सकती है । जिनके तलाक व बच्चों की अभिरक्षा की कार्यवाही चल रही है जिन्हे उनके तलाक निवेदनों पर अदालत के निर्णय की प्रतीक्षा कर वास्तविक आवास की जुरुरत (आवश्यकता) है । नवम्बर २००१ से आवास विभाग (Housing Department) घरेलू हिंसा के शिकार उन लोगों की देखभाल के लएि भी सशर्त किरायेदारी योजना प्रदान करती है जिन्होने तलाक के लिए निवेदन दिया है परंतु जिनका कोई बच्चों नहीं है या जो अपना वैवाहिक घर छोड़ते समय अपने आश्रित बच्चों को साथ नहीं लाये । जिन लोगों को इस सेवा की आवश्यकता हो वे संबन्धित समाजसेवक से निवेदन कर सकते है ।

कानूनी सहायता सेवा

जीवनसाथी की मारपीट के मामलों में पीड़ित व्यक्ति जो दीवानी अपील करना चाहते है वे एल ए ड़ी को न्यानिक सहायता के लिए निवेदन कर सकते है । पीड़ित जीवनसाथी या सहवास करनेवाला अदालत से गैर-छेड़खानी आदेश, बेदखल करने के आदेश, या जहाँ उपयुत्त हो वहाँ निषेधाज्ञा या फिर यदि वह यह निर्णय लेता है तो तलाक के निवेदन कर सकता/सकती है । कानूनी सहायता के योग्य होने के लिए पीड़ित को माध्यम व योग्यता परीक्षा दोनों में सफल होना होगा ।

अत्यावश्यक कानूनी सहायता की अनुप्रयोग उदाहरण के लिए पीड़ित गैर-छेड़खानी आदेश, बेदखल आदेश या निषेधाज्ञा इत्यादि हेतु निवेदन देना चाहता है तो एल ए ड़ी माध्यम परीक्षा व बयान लेने के लिए यथाशील एक साक्षात्कार का आयोजन करेगा ।

जब पीड़ित ने एक बार माध्यम व योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया हो और एल ए ड़ी द्वारा उचित कानूनी कार्यवाही शुरु करने के लिए कानूनी सहायता प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया हो तो निर्धरित वकील पीड़ित के निर्देशों का पालन करेगा और उसे उचित कार्यवाई के विषय में सलाह देगा/देगी । उसबीच, निर्धारित वकील पीड़ित के कानूनी अधिकारों की सरक्षा करने के लिए उचित कानूनी कार्यवाही एल ए ड़ी करेगा । आवश्यकता पड़ने पर पीड़ित का वकील के साथ तुरुन्त साक्षात्कार का प्रबंध भी कराया जा सकता है । पिड़ित को अदालत की कार्यवाहीयों की प्रगति के विषय में भी पूरी जानकारी दी जा सकती है ।

Major Enquiry Hotlines मुख्य पूछताछ हाँटलाइन

Social Welfare Department समाज कल्याण विभाग	Telephone Number टेलिफोन नम्वर
SWD Hotline	2343 2255
Family and Child Protective Services Unit (Central, Western, Southern and Islands)	2835 2733
Family and Child Protective Services Unit (Eastern and Wanchai)	2231 5859
Family and Child Protective Services Unit (Kwun Tong)	2707 7681
Family and Child Protective Services Unit (Wong Tai Sin and Sai Kung)	3188 3563
Family and Child Protective Services Unit (Sham Shui Po)	2247 5373
Family and Child Protective Services Unit (Kowloon City and Yau Tsim Mong)	3583 3254
Family and Child Protective Services Unit (Shatin)	2158 6680
Family and Child Protective Services Unit (Tai Po and North)	2158 6696
Family and Child Protective Services Unit (Tuen Mun)	2618 5710
Family and Child Protective Services Unit (Tsuen Wan and Kwai Tsing)	2940 7350
Family and Child Protective Services Unit (Yuen Long)	2445 4224
Refuge Centres for Women/Family Crisis Support Centre महिलाओं के लियें शरण केन्द्र / पारिवारिक संकट सहायता केन्द्र	
Wai On Home for Women	2793 0223
Harmony House	2522 0434
Serene Court	2787 6865
Sunrise Court	2890 8330
Family Crisis Support Centre 24-hour Hotline	18 288
CEASE Crisis Centre 24-hour Hotline	18 281
Others अन्य	
Hong Kong Police Force हाँग-काँग पुलिस बल	
Emergency Hotline	999
Legal Aid Department कानूनी सहायता विभाग	
Hotline	2537 7677

बाल दर्व्यवहार, पति/पत्नी की मारपिट और यौन हिंसा पिड़ित लोगों के लिए सहायता पर वेबसाइट
http://victimsupport.swd.gov.hk

This leaflet is available in the following languages:

1. Chinese	2. English	3. Tagalog
4. Indonesia	5. Thai	6. Hindi
7. Nepali	8. Sinhalese	9. Urdu

ये अनुवाद समाज कल्याण वभिाग की वेबसाइट
http://www.swd.gov.hk/ पर उपलब्ध किए गए है ।

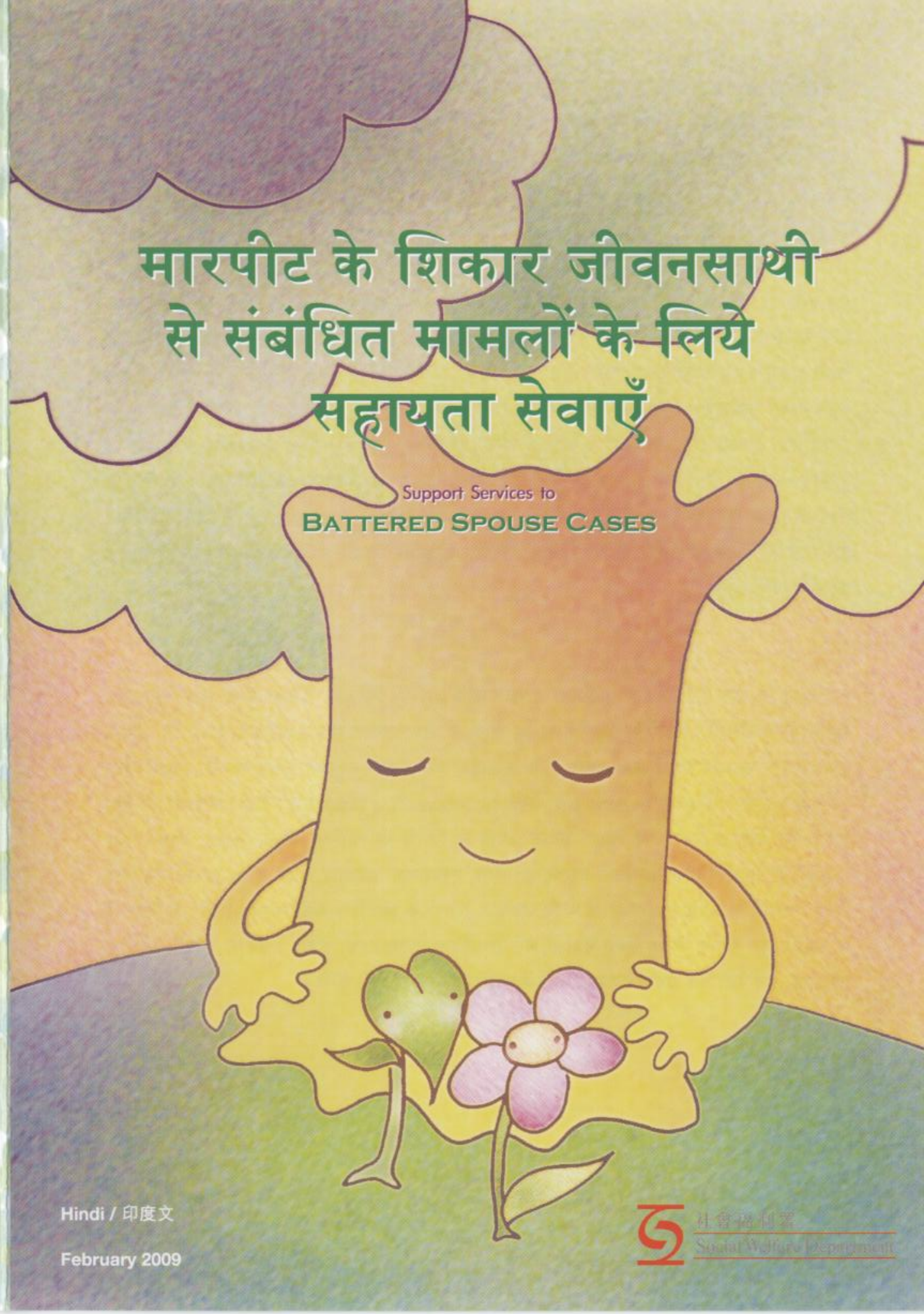

मारपीट के शिकार जीवनसाथी से संबंधित मामलों के लिये सहायता सेवाएँ

Support Services to

BATTERED SPOUSE CASES

Hindi / 印度文

February 2009

हाँग-काँग में सेवाओं की एक श्रृखला में पीड़ितो, अत्याचारियों या मार-पीट के शिकार जीवनसाथी संबंधी मामलों वाले परविारों को समाज कल्याण विभाग (एस डब्लू डी), गैर सरकारी संस्थानों (एन जी ओ), पुलिस और कानुनी सहायता विभाग (एल ए डी), इत्यादि द्वारा विभिन्न प्रकार की सेवाएँ प्रदान की जाती है।

परिवार व बाल सुरक्षा सेवा इकाईयां

एस डब्लू डी परिवार व बाल सुरक्षा सेवा इकाईयां वे विशिष्ट पर समाज सेवक काम करते है जो पीडितों, अत्याचारियों और बाल शोषण या जीवन साथी के साथ हिंसा के मामलों से सम्बन्धीत परिवारों को विभिन्न प्रकार की सेवाएँ प्रदान करते है। इस मामलों की जरुरत को ध्यान में रखते हुए, समाज सेवक पहुंच सेवा, सामाजिक निरीक्षण, संकट के समय से मध्यस्थता, मामले के संबंध मे परामर्श और समूह (सामूहिक) इलाज (उपचार) प्रदान करेगे। इसके अतिरिक्त, अभिभावक या संरक्षकता के झगडों से प्रभावित बच्चों के हितों की रक्षा करने केलिए एफ़ सी पी एस यु न्यायालय के आदेश अनुसार अदालत के लिए सामाजिक निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेंगे। वे अदालत के आदेशों के अनुसार बच्चों के लिए सांविधिक निगरानी भी प्रदान करते है। जरुरत पड़ने पर वित्तीय सहायता, आवस, कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक परामँश दिये जायेगें।

एकीकृत परिवार सेवा केन्द्र

एस डब्लू डी और गैर सरकारी सस्थानों द्वारा चलाये जा रहे एकीकृत परिवार सेवा केन्द्र जरुरतमंद व्यक्तियों व परिवारो केलिए लगातार निरोधक, सहायक और उपचारात्मक सेवाएँ प्रदान करते है। इसमें एक परिवार संसाधन इकाई (Family Resource Unit), एक परिवार सहायता इकाईयां और एक परिवार परामँश इकाईयां (Family Support Unit/ Family Conunselling Unit) शामिल है। सेवाओं का एक शरणी जो विभिन्न प्रकार की सेवाएँ प्रदान करती है जिनमें पारिवारिक जीवन शिक्षा, माता-पिता व बच्चों की गतिबिधियां, जानकारी (पूछताछ) सेवा, स्वयंसेवक प्रशिक्षण, पंहूच सेवा, आपसी सहायता समूह, मामलों के संबध मे परामर्श इत्यादि शामिल है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत मामलों की जरुरतों के आधार पर समाज सेवक अन्य सेवाओं जैसे सामाजिक सहायता या घरेलू देखभाल सेवाएँ, वित्तीय सहायता, मनोवैज्ञानिक सेवा, रोजगार सेवाओं के लिए सिफ़ारिश भी करेंगे।

चिकित्सा सामाजिक सेवाएँ

औषधीय (चिकित्सा) समाज सेवकों को घरेलू हिंसा के मामलों के विषय में जानकारी सार्वजनिक अस्पतालों और बहिरंग रोगी, चिकित्सालयों मे काम कर रहे अस्पताल कर्मचारियों, पुलिस या अन्य सस्थानों के माध्यम से और रोगीयों या उनके परिवारों द्वारा प्रत्यक्ष सम्पर्क से प्राप्त होती है। चिकित्सा समाज सेवक पारिवारिक हिंसा के शिकार लोगोंऔर उनके परिवार के सदस्यों उनकी आवश्यकताओं के आधार पर परामर्श, वास्तविक सेवाएँ, पुनसुधार, सामुदायिक सेवाएँ इत्यादि की भी व्यवस्था करते है।

महिलाओ के लिए शरण केन्द्र

हाँग-काँग में महिलाओं के लिए चार शरण केन्द्र है, इनके नाम है -वाई ओन होम फ़ॉर वीमेन (Wai On Home for Women), हारमोनी हाउस (Harmony House), सीरीन कोर्ट (Serene Court), और सनराइज कोर्ट (Sunrise Court)। यह उन महिलाओं और उनके बच्चों को अस्थायी आवास और सहायता सेवाएँ प्रदान करते है जिन्हें घरेलू हिंसा से खतरा या परिवार के संकट का सामना कर रहे है। जिन महिलाओं को सेवा की जरुरत की आवश्यकता होती है, समाज सिफारिश से उनके प्रवेश के निवेदन २४ घंटे में स्वीकार किये जाते है। शरण स्थलों के पते गुप्त रखे जाते है।

परिवार संकट सहायता केन्द्र

कारितास-हाँग-काँग द्वारा संचालित परिवार संकट सहायता केन्द्र (एफ सी एस सी), अत्यधिक चिंता या संकट का सामना कर रहे लोगों को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और घरेलू हिंसा सहित उनसभी परिवारिक समस्याओं के सकारात्मक समाधान के लिए अवकाशकाल सुविधा और एक एकीकृत पैकेज प्रदान करता है। एफ सी एस सी सीधे आवेदन या अन्य किसी सस्थान द्वारा सिफ़ारिशे स्वीकार करता है।

हाँट लाइन सेवाएँ

घरेलू हिंसा के शिकार लोग कल्याण सेवाओं और समय पर उचित सलाह/सहायता के विषय में जानकारी प्राप्त करने केलिए हाँट लाइन सेवाओं का उपयोग कर सकते है। हाँट लाइन सेवाओं पर समाजसेवक या स्वयंसेवक तैनात रहते है या फिर यह कॉल स्थानान्तर प्रद्वति द्वारा चलायी जाती है।

पुलिस की मध्यस्थता

घरेलू हिंसा से संबंधित सभी शिकायतों व प्रतिवेदन को नियंत्रित व निरीक्षण हाँग-काँग पुलिस बल द्वारा किया जायेगा। सामान्य परिस्थितियों में पुलिस हाँट लाइन 2527 7177 किसी भी पुलिस स्टेशनों पर फोन कर सकती है या फिर सीधे पुलिस अधिकारी को शिकायत की जा सकती है। आपतकालिन स्थिति में, सार्वजनिक हाँट लाइन "999" में मदद के लिए डायल कर सकता है। पीड़ितो और सूचना देने वालों के बारे में जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा।

नैदानिक मनोवैज्ञानिक एकांश

एस डब्लू डी के चार मनोवैज्ञानिक एकांशों में नैदानिक मनोवैज्ञानिक पीड़ितों, अत्याचारियों और/या उनके बच्चों में मनोवैज्ञानिक लक्षण दिखाये जाते है। उनका रोग निर्धारण करते हैं और उन्हे चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करते है। सभी एस डब्लू डी एकांशो से सिफ़रिशें स्वीकार किये जाते है। व्यक्तिगत मामलें की परिस्थितियों के आधार पर निर्भर करता है, नैदानिक मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत/युगल/परिवार या समूह चिकित्सा प्रदान करते है। तलाक के मामलों के लिए नैदानिक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, अदालय राय और मद्दों को हिरासत, अभिगमन और/या बाल देखभाल से संबंधित पर अदालत करने केलिए विशेषज राय प्रदान करते है।

वित्तीय सहायता

इस व्यापक सामाजिक सुरक्षा सहायता (सी एस एस ए) योजना जरुरतमंद लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान के लिए बनायी गयी है। इसके योग्य होने के लिए आवश्यक है कि निवेदक कम से कम सात साल से हाँग-काँग में रह रहा हो। विशिष्ट परिस्थितियों में समाज कल्याण निदेशक के विवेक अनुसार ऐसे किसी सी एस एस ए निवेदक को भी मदद दी जा सकती है जो निधारित आवास आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता। सी एस एस ए आवेदन के लिए सामाजिक कार्यकर्ता या एस डब्लू डी के कोषीय सामाजिक सुरक्षा एकांश से सम्पर्क कर सिफ़ारिश के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा, धर्मार्थ न्यास-निध्रियों (Charitable Trust Funds) व्यक्तियों या परिवारों को वित्तीय कढनाइयों का सामना करने के लिए अस्थायी तौर पर नकद अनुदान देते है जब अन्य वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं है। प्रत्येक धर्मार्थ न्यास निधि के सहायता के अपने स्वयं के मापदंड और सहायता की श्रेणियाँ होती हैं। वे लोग जिन्हें इस प्रकार की सहायता की आवश्यता हो वे सामाजिक कार्यकर्ताओं या कोषीय सामाजिक सुरक्षा एकांश के माध्यम से निवेदन कर सकता है।